आदेश	कार्यवाही विवरण
14/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उप.। वकील वादी ने बहस प्रा. पत्र O7R11 CPC हेतु अवसर चाहा। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करने की हिदायत के साथ अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली आदेश दिनांक 21/3/24 को पेश हो।
21/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उप.। बहस प्रा. पत्र O7R11 CPC हेतु समय चाहा। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली आदेश दिनांक 5/4/24 को पेश हो।
5/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उप.। बहस प्रा. पत्र O7R11 CPC सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 26/4/24 को पेश हो।
26/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उप.। प्रा. पत्र O7R11 CPC स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर प्रा. [illegible] किया गया। पत्रावली फैसला [illegible] नम्बर से [illegible] बाद [illegible] जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। 26/4/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 14:59:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 43/2016
महावीर

बनाम

अनिल आदि

दावा बाबत घोषणार्थ, हक त्याग को नल एण्ड वोईड घोषित करवाने हेतु व स्थाई निषेधाज्ञा।
प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट वादी अप्रार्थी – श्री अमर सिंह शेखावत
ऐडवोकेट प्रति0 प्रार्थी – श्री विधाधर जाखड़

:: आदेश ::

दिनांक 26.04.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 775, 902, 903 स्थित है जो प्रार्थीगण ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12.07.2005 को क्रय कर लिया जिसका नामान्तकरण संख्या 322 के द्वारा प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गया है और विक्रय पत्र दिनांक 13.04.2010 के द्वारा मंजू देवी ने जो भूमि क्रय की थी जिसका नामान्तकरण 749 मंजू देवी के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त भूमि के काबिज खातेदार है इस प्रकार उक्त हक त्याग दिनांक 31.10.2003 व उपर वर्णित विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दस्तावेजात है। रजिस्टर्ड दस्तावेजात को सिविल न्यायालय अंतर्गत धारा 31 स्पेसिफिक रिलिफ एक्ट के तहत निरस्त कर सकता है। राजस्व न्यायालय रजिस्टर्ड दस्तावेजात को निरस्त नही कर सकता है। इस कारण उक्त वाद श्रीमान जी के श्रवणाधिकार का नही है बार्ड वाई लॉ है।

वादी ने काल्पनिक तारीखों के आधाार पर वादकारण दर्ज किया है उसका विधिक कोई वादकारण पैदा नही हुआ है। वादी को कोई वाद कारण पैदा नीह हुआ है जैसे ही दस्तावेज रजिस्टर्ड होता है वैसे ही जिसके पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तावेज तस्दीक हुआ है उसे हक अधिकार प्राप्त हो जाते है नामान्तकरण की कार्यवाही तो फिसिकल कार्यवाही है जैसा आर0 आर0 डी0 1979 पेज संख्या 1 में प्रतिपादित किया गया है। इसमें तो प्रार्थीगण के नाम नामान्तरण भी तस्दीक हो चुके है और दस्तावेजात करीब 20 वर्ष पुराने है किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेजात को 3 साल के अन्दर अन्दर ही चुनौती दी जा सकती है इस प्रकार उक्त दावा बार्ड बाई लॉ भी है क्योंकि वादी दस्तावेजात से अजनबी नही है खुद पक्षकार है। इस प्रकार दावा बार्ड बाई लॉ है। अतः उक्त प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र का विरोध प्रकट करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा है व 1/ 2 हिस्सा प्रतिवादीगण का है। दिनांक 31.10.2023 को वादी को बहला फुसलाकर प्रतिवादीगण द्वारा हकत्याग 0.88 है0 का करवा लिया जिसका नामान्तकरण संख्या 294 है। रजिस्ट्रैशन एक्ट में हकत्याग का कोई प्रावधान नही है। मंजू देवी पत्नी बजरंगलाल को जरिये विक्रय पत्र के प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय किया गया है। खातेदारी अधिकारों के राजस्व न्यायालय अधिकारिता रखता है। धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत सिविल कोर्ट में जाने की आवश्यकता नही है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने [illegible] बहस के दौरान वकील पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र तथ्यों को दो[illegible]

बहस के दौरान वकील आवेदक [illegible] Raj 2023 (3) page 2017 न्यायिक दृष्टांत पेश कि[illegible] बहस तथ्यों प[illegible] किया गया तथा प्रस्तुत नजीर व पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र, रिकार्ड व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

वकील आवेदक प्रतिवादी द्वारा कथन किया है कि वादी [illegible] किया गया हक त्याग दिनांक 31.10.2003 व प्रार्थना पत्र में वर्णित विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दस्तावेजात है जो शुन्य व निरस्त किये जाने का अधिकार सिविल न्यायालय को है तथा उक्त हक त्याग को तस्दीक करवाये 20 वर्षो से अधिक का समय होने के कारण वाद मियाद के बाहर है जिस कारण वाद बार्ड बाई लॉ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 14:59:48 IST
Reason: SelfAttested

26/4/24
स.क.ए.का.म. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

वकील अनावेदक द्वारा कथन किया गया कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय रखता है। जिसके लिए सिविल कोर्ट में जाने की आवश्यकता नही है।

आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा:–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त वाद में वर्णित विषयवस्तु पर चस्पा होते है। वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र मे वादी द्वारा मुख्य अनुतोष रजिस्टर्ड हक त्याग को शुन्य करवाने का है जो कि वादी द्वारा वर्ष 2003 में स्वयं द्वारा करवाया गया है । प्रश्नगत रजिस्टर्ड हकत्याग को निरस्त व शुन्य करने का अधिकार क्षैत्र माननीय सिविल न्यायालय का है। उक्त रजिस्टर्ड हक त्याग वर्ष 2003 में करवाया गया है जिसे तस्दीक हुए 20 वर्षो से अधिक समय हो गया है जिसको अन्दर मियाद चैलेंज नही किया गया। जिसक कारण वाद बार्ड बाई लॉ है। इस प्रकार उक्त वाद सिविल नेचर का होने से न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार मे नही है तथा बार्ड बाई लॉ होने के कारण आवेदक प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अं.धारा 7 नियम 11 सीपीसी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 26.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/04/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 14:59:48 IST
Reason: SelfAttested